



झारखण्ड सरकार

कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी, धनबाद।

मिश्रित भवन भू-तल (ग्राउंड फ्लोर) धनबाद-826001

E-mail Id - dhanbad.rmsa@gmail.com

## विज्ञापन संख्या-01 / 2022

जिले के 19 चयनित आदर्श विद्यालयों में संविदा के आधार पर उच्च विद्यालयों के लिये मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक प्रशिक्षित एवं +2 विद्यालयों के लिये स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति हेतु (विषयवार-कोटिवार रिक्ति संलग्न) आवेदन पत्र दिनांक 26.09.2022 तक जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय, धनबाद में निबंधित डाक (पत्राचार का पता- जिला शिक्षा पदाधिकारी, धनबाद, मिश्रित भवन, धनबाद, पिनकोड-826001) के माध्यम से निम्नांकित शर्तों के साथ आमंत्रित किये जाते हैं।


1. कार्मिक प्रशासनिक एवं सुधार विभाग के निदेश के आलोक में न्यूनतम आयु 21 वर्ष तथा अधिकतम आयु कोटिवार निम्नरूपेण है :-

		विकलांग हेतु
(i) सामान्य कोटि	40 वर्ष	45 वर्ष
(ii) महिला (अनारक्षित/पिछड़ा वर्ग/ अत्यंत पिछड़ा वर्ग)	43 वर्ष	48 वर्ष
(iii) अन्य पिछड़ा वर्ग	42 वर्ष	47 वर्ष
(iv) अनुसूचित जाति/जनजाति	45 वर्ष	50 वर्ष

2. शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त संस्थान से होना आवश्यक है।
3. इनकी नियुक्ति अल्पकालीन वार्षिक संविदा आधारित नियुक्ति की व्यवस्था अगले आदेश तक अथवा नियमित शिक्षकों के पदस्थापन तक, जो पहले हो, तक लागू रहेगी।
4. संविदा शिक्षक को मासिक आधार पर स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों को प्रत्येक माह 27,500/-रु० एवं स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों को 26,250/-रु० भुगतान किया जायेगा।
5. संविदा के आधार पर कार्यरत शिक्षकों को नियमित नियुक्ति का कोई दावा/अधिकार नहीं होगा और न ही सरकारी शिक्षकों के संवर्ग के हिस्सा होंगे।
6. यदि शिक्षक कार्य दिवस पर अनुपस्थित रहते हैं, तो उस कार्य दिवस के भुगतान का हकदार नहीं होंगे। कर्तव्य पर अनुपस्थिति के मामले में आनुपातिक आधार पर भुगतान किया जायेगा।
7. काम के घण्टे नियमित शिक्षक के समान होंगे।
8. असंतोषजनक कार्य पाये जाने पर अथवा कोई शिकायत पाये जाने पर स्पष्टीकरण पूछकर एक माह के नोटिस पर संविदा समाप्त की जा सकेगी।

### नियुक्ति का चयन प्रक्रिया :-


1. उपायुक्त, धनबाद द्वारा गठित चयन समिति, साक्षात्कार एवं व्यवहारिक कक्षा के अवलोकनोपरान्त तैयार मेधा सूची के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन किया जायेगा।

  
(भुतनाथ रजवार)  
जिला शिक्षा पदाधिकारी,  
धनबाद।  
09/09/2022

## कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी, धनबाद।

जिले में चयनित आदर्श विद्यालयों में स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों के नियुक्ति हेतु अनुमोदित रोस्टर के आधार पर कोटिवार रिक्त पदों का विवरण

क्रमांक	विषय	रिक्त पदों की संख्या	अनारक्षित	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	पिछड़ा वर्ग	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	हिन्दी	12	6	2	1	1	2	12
2	उर्दू	6	3	1	0	1	1	6
3	बंगला	7	4	1	0	1	1	7
4	संस्कृत	21	11	3	2	2	3	21
5	अंग्रेजी	14	7	2	1	2	2	14
6	गणित एवं भौतिकी	32	16	5	3	3	5	32
7	रसायन शास्त्र एवं जीव विज्ञान	8	4	1	1	1	1	8
8	अर्थशास्त्र	9	5	1	1	1	1	9
9	गृह विज्ञान	2	1	0	0	0	1	2
10	संगीत	1	1	0	0	0	0	1
11	इतिहास नागरिक	19	10	2	2	2	3	19
12	भूगोल	5	3	0	0	1	1	5
13	शारीरिक शिक्षा	11	6	1	1	1	2	11
14	पर्सियन	2	1	0	0	0	1	2
15	संथाली	1	1	0	0	0	0	1
	कुल	150	79	19	12	16	24	150


  
09/09/22

(भुतनाथ रजवार)  
जिला शिक्षा पदाधिकारी  
धनबाद

## कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी, धनबाद।

जिले में चयनित आदर्श विद्यालयों में स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों के नियुक्ति हेतु अनुमोदित रोस्टर के आधार पर कोटिवार रिक्त पदों का विवरण

क्रमांक	विषय	रिक्त पदों की संख्या	अनारक्षित	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	पिछड़ा वर्ग	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	हिन्दी	3	2	0	0	0	1	3
2	अंग्रजी	1	1	0	0	0	0	1
3	संस्कृत	4	2	0	0	1	1	4
4	मैथिली	3	2	0	0	0	1	3
5	अर्थशास्त्र	2	1	0	0	0	1	2
6	भूगोल	5	3	0	0	1	1	5
7	प्राचीन इतिहास	3	2	0	0	0	1	3
8	भौतिकी	3	2	0	0	0	1	3
9	रसायन	3	2	0	0	0	1	3
10	जीव विज्ञान	2	1	0	0	0	1	2
11	गणित	3	2	0	0	0	1	3
	कुल	32	20	0	0	2	10	32

  
(भुतनाथ रजवार)

जिला शिक्षा पदाधिकारी  
धनबाद

# आवेदन पत्र का प्रारूप

## स्नातक / स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक के लिए

1. आवेदक का नाम :-
2. पिता/पति का नाम :-
3. माता का नाम :-
4. जन्म तिथि :-
5. उम्र (दिनांक 01.01.2022 के आधार पर) :-
6. स्थायी पता :-
7. पत्राचार का पता :-
8. शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता :-

परीक्षा	कॉलेज का नाम नाम	विश्वविद्यालय का नाम	उत्तीर्णता का वर्ष	विषय	प्राप्तांक का प्रतिशत

9. कोटि :-
10. मोबाईल संख्या :-
11. आधार नम्बर :-
12. पहचान चिन्ह :-

नोट 1 :- सभी शैक्षणिक-प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों की स्वअभिप्रमाणित प्रति संलग्न करेंगे।

2. आरक्षण के लाभ हेतु जाति प्रमाण पत्र (झारखण्ड सरकार द्वारा निर्गत) एवं आवासीय प्रमाण पत्र संलग्न करेंगे।

आवेदक का हस्ताक्षर